फर्द अहकाम

नियम 26

अदालत.........उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)..............मुकाम....................भादरा...

.... सरोज ....बनाम.. प्रतापसिंह आदि ....

मुकदमा............212 ....न० 14/20 ....सन्.............. 2020.............................

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
3.2020	प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आटीएएक्ट का अधिवक्ता श्री लीलाधर अग्रवाल के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस पर मनन करने एवं रिकार्ड का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि वे वादाधीन रकबा तहसील भादरा के वाके रोही पचारवाली के खाता सं0 68/67 के खसरा सं0 3, 8, 11, 12, 14 ता 17, 140, 141, 188, 189, 211, 221 व 222 कुल रकबा 33.3210है0, जिसमें अप्रार्थी का 1/48 हिस्सा, रोही अजीतपुरा के खाता सं0 44/44 के खसरा सं0 156, 158, 438 कुल रकबा 23.699है0 में अप्रार्थी का 1/8 हिस्सा बारानी खातेदारी में से प्रार्थीया के हक हिस्से तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। यह अस्थाई निषेधाज्ञा केवल दिनांक 01.05.2020 तक है। आगामी आदेश सुनवाई पश्चात पृथक से जारी होंगे। आज से पूर्व पंजीकृत बैयनामे पर यह लागू नहीं। बैंक ऋण (रोडा एक्ट), रास्ता, खाला विवाद, वाप्कोस कार्य DILRMP पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु रजिस्टर्ड एव सामान्य नोटिस प्रस्तुत नहीं करने पर तथा प्रार्थी प्रतिनिधि उपस्थित न होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा की अवधि नहीं बढाई जावेगी। इस बाबत कोई उज्र एतराज हो तो अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश करें कि क्यों न प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई आदेश ता फैसला वाद कन्फर्म कर दिया जावे तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण क तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस भिजवाए जाकर तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 01.05.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
1.5.20	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी ...... [illegible] .... दिनांक 13.7.20.... को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
	19/9/23 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी ...अन्य कार्य में व्यस्त... दिनांक 26/9/23 को पेश हो। Sd/- 26/9/23 पत्रावली पेश हुई अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित प्रार्थना पत्र 212 एल.आर.एक्ट से संबंधित मूल वाद कायम शुमार होने पर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है व पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। Sd/- उपखण्डाधिकारी (राजस्व, भादरा (जिला-हनुमानगढ़)	